बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–14/आरोप (भागलपुर) 02–41/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

श्री राज किशोर शर्मा, अंचल अधिकारी, गोपालपुर, भागलपुर के विरूद्ध समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–2534/रा0, दिनांक–09.05.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में दाखिल–खारिज अधिनियम–2012 में निहित प्रावधान के अनुरूप दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन नहीं करने, FIFO का अनुपालन नहीं करने, दाखिल–खारिज के आवेदनों को बिना कोई ठोस कारण के अनावश्यक रूप से अस्वीकृत करने तथा आवेदनों को अनावश्यक रूप से बहुत दिनों तक लंबित रखने, लोक शिकायत निवारण से संबंधित परिवादों के निष्पादन की दिशा में कोई अभिरूचि नहीं लेने, जमाबंदी/लगान इन्ट्री के अद्यतीकरण में लापरवाही, शिथिलता एवं अभिरूचि नहीं लेने, न्यायालय कार्य में अभिरूचि नहीं लेने तथा न्यायालय से संबंधित जाँच इत्यादि को लंबित रखने, भू–लगान वसूली में वित्तीय वर्ष 2021–22 में लक्ष्य ₹84.00 लाख के विरूद्ध ₹19.43 लाख की वसूली की गयी, जो अत्यंत ही खेदजनक एवं राजस्व हित के प्रतिकूल है, मापी, अतिक्रमण, लोक शिकायत निवारण एवं अन्य कार्यों में भी कोई अभिरूचि नहीं लेने, सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं यथा– अभियान बसेरा, जल जीवन हरियाली इत्यादि कार्यों में भी अभिलेख इत्यादि का संधारण नियमानुसार नहीं किया जाने जैसे आरोप प्रतिवेदित किये गये।

2. समाहर्त्ता, भागलपुर द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–872(15), दिनांक–28.06.2022 द्वारा आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री शर्मा द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक–18.07.2022 विभाग में समर्पित किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–1745(15), दिनांक–21.10.2022 द्वारा समाहर्त्ता, भागलपुर से मंतव्य की मांग की गयी। इस संबंध में जिलाधिकारी, भागलपुर का मंतव्य प्राप्त है, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल–06 आरोपों में से आरोप सं0–03 के स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा शेष 05 आरोपों के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताया गया है।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों, आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इस संबंध में जिलाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत इस मामले की सम्यक् जाँच किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिलाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं0–1326(15) दिनांक–07.07.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित, की गई जिसमें अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Rajkishore sharma_CO(Gopalpur_bhagalpur)_10 % Pension 5 Years -.doc

5. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–107/वि0जाँ0 दिनांक–18.09.2025 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें गठित 06 आरोपों में से 03 अंशतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में अंशतः प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–337(15) दिनांक–10.03.2026 से द्वितीय कारण–पृच्छा/ अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री शर्मा द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन दिनांक–30.03.2026 विभाग में समर्पित किया गया।

6. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त श्री शर्मा का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन राशि का 10 प्रतिशत 05(पाँच) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राज किशोर शर्मा, अंचल अधिकारी, गोपालपुर, भागलपुर **सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालन्दा** के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत 05(पाँच) वर्ष के लिए कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–14/आरोप (भागलपुर) 02–41/2022– ....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

निबंधित ई–मेल

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, नालन्दा एवं भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागर, नालन्दा एवं भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/ श्री राज किशोर शर्मा, सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालन्दा **(पता–पिता–स्व0 वृज बिहारी शर्मा, ग्राम+पो0–गंगहारा, थाना–शाहपुर, जिला–पटना)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–14/आरोप (भागलपुर) 02–41/2022– 837 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–16/06/2026

प्रतिलिपि :–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री राज किशोर शर्मा** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Rajkishore sharma_CO(Gopalpur_bhagalpur)_10 % Pension 5 Years-.doc